जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर

ए.बी.ए. नंबर 460/2026

असरगंज थाना कांड संख्या 184/2025

पवन यादव बनाम बिहार राज्य।

20.04.2026 आवेदक **पवन यादव** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता कुमारी बेबी के द्वारा संचालित किया गया। **अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक इसके अतिरिक्त अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन के पैरा 3 के अनुसार आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।**

उभय पक्षों को सुना।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचक कुंदन यादव के लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 06.03.2026 के करीब 07:00 बजे सुबह संतोष यादव, पवन यादव एवं बिट्टू यादव तीनों छोटी–छोटी बातों को लेकर सूचक को धमकी देने लगते हैं। बच्चे–बच्चे के बोलने के क्रम में तीनों लाठी, डंडा एवं लोहे की खंती से मारपीट कर जख्मी कर दिया, जिसका विरोध करने पर धमकी देने लगे। पूर्व में भी सूचक के परिवार को धमकी दिया गया था। बीच बचाव करने आयी सूचक की पत्नी सोनी देवी के साथ भी अभद्र व्यवहार तथा गाली–गलौज एवं सिर पर लाठी से प्रहार कर जख्मी कर दिया गया। सूचक के आवेदन के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 126(2), 117(2), 109(1), 352, 351(2), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए है कि आवेदक निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है और उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है। बच्चो के विवाद के चलते यह घटना हुई है। अभियुक्त के पिता के द्वारा सूचक पक्ष पर इस वाद का पलटा वाद असरगंज थाना कांड सं0 37/2026 दर्ज कराया है। धारा 109(1) बीएनएस को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय हैं। आवेदक बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से मैं यह पाता हूँ कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। आवेदक पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक तथा उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया गया है। आवेदक पर किसी को मारने का स्पष्ट आरोप नहीं है। आवेदकगण पर लगाए गए आरोप सार्वभौमिक हैं। जख्मी के जख्म प्रतिवेदन में जख्म को साधारण प्रकृति का बताया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।

पीठासीन पदाधिकारी– राकेश कुमार सिंह।
न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
एबीए सं0 460/2026
पवन यादव बनाम् बिहार राज्य।

लगातार

20.04.2026. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक **पवन यादव** के तरफ से **पांच हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा **आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर** विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :

1. **आवेदक के दो जमानतदार ग्रामीण होंगे।**
2. **आवेदक आरोप गठन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।**

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 20.04.2026.

प्रतिलिपिः– श्रीमती अनन्या, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश की प्रति भेजी जाती है।

लेखापित

(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 20.04.2026.